फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम सपी खान**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/122/**2022 दायर दिनांक 11.04.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी सपी खान पुत्र बुन्दु खान जाति मेव निवासी ग्राम भोकर तहसील कोटकासिम जिला अलवर जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 40 जी.ए. 3487 धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना कोटकासिम द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोटकासिम से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी कोटकासिम द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा महिन्द्रा पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 40 जी.ए. 3487 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 40 जी.ए. 3487 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/– तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 06.06.2022 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

30/05/22

वरिष्ठ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वरिष्ठ प्रार्थी ने निर्धारित राशि के जमानत मुचलके पेश किये। परिस्थितिवश अभिरक्षामुक्त किये गये। S.H.O. कोतवाली को पाबंद प्रतिभूति पर रिहा करने बाबत आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)